न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट

जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 670 / 2018
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 10.07.2018

निर्णय दिनांक : 15.01.2025

अनवान

1. सोहनलाल पिता स्व. चुन्नीलाल महाजन जैन निवासी माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. भैरूलाल पिता गोरधन जाति गुर्जर
2. श्रीमती नोसी पत्नी स्व. छगनलाल जाति गुर्जर
3. श्रीमती सोहनी पत्नी स्व. छगनलाल जाति गुर्जर
4. उदा पिता स्व. छगनलाल जाति गुर्जर
5. किसन पिता स्व. छगनलाल जाति गुर्जर
6. भोजा पिता स्व. छगनलाल जाति गुर्जर
7. देवा पिता स्व. छगनलाल जाति गुर्जर
   निवासीयान माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद
8. बाबुलाल पिता स्व. चुन्नीलाल महाजन जैन निवासी माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद
9. डालचंद पिता स्व. चुन्नीलाल महाजन जैन निवासी माकरडा हाल निवासी सादडी, तहसील सादडी, जिला पाली
10. दिलीप पिता कन्हैयालाल महाजन जैन
11. राजेश पिता कन्हैयालाल महाजन जैन
12. श्रीमती कमला पत्नी स्व. कन्हैयालाल महाजन जैन
13. श्रीमती पानी बाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल महाजन
14. श्रीमती मगनी बाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल महाजन जैन
15. श्रीमती शांती बाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल महाजन जैन
16. श्रीमती संतोष बाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल महाजन जैन
17. श्रीमती शारदा बाई पुत्री स्व. चुन्नीलाल महाजन जैन
    सभी निवासीयान माकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित,
विपक्षीगण की ओर से :– अधिवक्ता किशनलाल शर्मा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माकरडा, पटवार हल्का साकरडा, तहसील आमेट जिला–राजसमंद में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 8 से लगायत 17 के नाम पर आराजी नं. 500, 501, 502, 503, 504, आराजीयात राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 8 से 17 तक आराजी नं. दर्ज है, उनके हाल के नंबर एवं साबिक आराजी नं. निम्न प्रकार है :–

साबिक आराजी नं. भू प्रबन्ध से पूर्व	हाल के आराजी नं. बाद भू–प्रबन्ध
201, 223, 224 कुल किता 3 कुल रकबा 59 बिस्वा	500 से 504 कुल किता 05 कुल रकबा 0.6300 एयर

पुराने नक्शे में साबिक आराजी नंबर 201 के अंदर पगडण्डी नुमा रास्ता डोड डोट चिन्ह द्वारा दर्शा रखा है, खैत पर आने के लिए पगडण्डी ही कायम थी, नवीन भू प्रबन्ध में साबिक आ.नं 201, 223 के नये नंबर 500, 501, 502 बनाए है और रास्ता दर्ज कर दिया है। सेटलमेन्ट के दौरान जो रास्ता दर्ज कर दिया है, वह गलत दर्ज किया गया है, सैटलमेन्ट अधिकारी जी को पूर्व में रास्ता दर्ज नहीं है, के उपरान्त भी रास्ता बनाने का कानूनी अधिकार नहीं था। गलत रास्ता दर्ज कर देने से विवाद उत्पन्न हो गया है। साबिक आ.नं. 201 के पूर्वी दिशा में एक सिंचाई के लिए ओडी बनी हुई थी, जो नवीन भू प्रबंध में भी हाल आ.नं. 501 में दर्शा रखी है। साबिक आराजी नं. 201 के सटमा ही विपक्षी संख्या 1 से 7 के पूर्वाधिकारियो के खातेदारी की आ.नं. 200, 228, 299 स्थित थी, साबिक आ.नं. 200 के नये नंबर 669, 670 बने है, जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 7 के नाम पर विरासत से दर्ज है। सैटलमेन्ट के वक्त जो गलती पगडण्डी वाले स्थान के बजाय रास्ता पूरा दर्ज कर दिया गया है, और प्रार्थी की साबिक आ.नं. 201 व 223 के नवीन नंबर 500, 501, 502 बने है, रास्ता घुमा कर बना रखा है। मौके पर जो रास्ता आ.नं. 500 रकबा 0.1000 प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 8 से 17 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। खेतो पर जाने वाले कास्तकारों ने विपक्षी संख्या 1 से 7 ने आ.नं. 500 के रास्ते को छोड़कर आ.नं. 501 के बीच में रास्ता बना दिया है और प्रार्थी की जमीन आ.नं. 501 की करीब 18 फीट पूर्व से पश्चिम रास्ते में उपयोग में ली जा रही है, जबकि आ.नं. 500 रास्ते के लिए प्रार्थी ने कभी इंकार नहीं किया है, हाल आ.नं. 501 मे रास्ता नहीं है, पूर्व में भी नहीं था। विपक्षी संख्या 1 से 7 ने अन्य लोगों की सहायता से जो आ.नं. 501 में अंदर घुस कर तोडफोड करके रास्ता आ.नं. 500 के अलावा भी कायम कर दिया है, उसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

रोका जाना न्यायोचित है। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 आ.नं. 501 में बनी दिवार को भी तौड दी है, और अवैध कृत्य करने का अधिकार नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा से आ.नं. 501 में जो अतिक्रमण हो रहा है, उसे रोका जाकर विपक्षी सं. 1 से 7 को पाबंद किया जावे। विपक्षी संख्या 1 से 7 के विरुद्ध तत्काल अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी कदर मैं संभव नहीं देगी।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्षा में एवं विपक्षी सं. 1 से 7 के विरुद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाये कि प्रार्थी के खाते की साबिक आराजी नं. 201 व 223 में रास्ता नहीं होने पर भी सैटलमेन्ट में तरमीम कर दी गई है, और आराजी नं. हाल में जो बनी है, आ. नं. 500, 501, 502 इनमे जो रास्ता बता भी दिया है, वह सिर्फ आ. नं. 500 में ही उपयोग लिया जाये, आ.नं. 501 व अन्य आराजी में दखल एतराज न तो विपक्षी संख्या 1 से 7 एवं न ही इनके सहयोगी, मजदूर, कारीगर, परिवार सदस्य आदि ही करे, इन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं. 1 से 5 व 7 की तरफ से अधिवक्ता किशनलाल शर्मा ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। विपक्षी सं. 6 व 8 से 17 की तामील रजि. एडी से कराई गई, जिसकी प्राप्ति रसीद एक माह उपरान्त भी प्राप्त नहीं जिससे आदेश 5 नियम 9 (ग) सीपीसी के तहत एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी सं. 1 से 5 व 7 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने झुठे कथन कर मनगढत तथ्यों के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं हैं। आराजी संख्या 500 जमाबन्दी में किस्म रास्ता दर्ज हैं। साबिक आराजी नम्बर 201 एवं 223 के नये नम्बर 500. 501, 502 बनाये हैं एवं जो रास्ता दर्ज किया हैं जो सेलमेन्ट से पूर्व से ही दर्ज हैं एवं आज भी मौके पर रास्ता दर्ज हैं एवं जमाबन्दी में किस्म रास्ता दर्शा रखा हैं। विपक्षी संख्या 1 से 7 के पूर्वजो की खातेदारी अवद्यय स्थित हैं जिसमें आने–जाने के लिये मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं उसी रास्ते आ जा रहे हैं एवं विरासत से जो भूमि दर्ज की जो स्वीकार हैं। मौके पर साबिक आराजी नम्बर 201 एवं 223 में बना हुआ था उसी रास्ते की भूमि को आराजी नम्बर 500, 501, 502 में उसी रास्ते को आराजी नम्बर 500 में दर्शा रखा है। मौके पर रास्ता आराजी नम्बर 500 में बना हुआ है जिसमें से होकर प्रार्थी एवं विपक्षी इसी रास्ते से होकर आ जा रहे हैं एवं विपक्षीगण की खातेदारी में से भी जो मौके पर रास्ता बना हुआ है उसमें से आ जा रहे हैं। मौके पर जो रास्ता बना हुआ है उसी भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर आ जा रहे हैं। मौके पर बने रास्ते की भूमि के अलावा कभी भी किसी भी अन्य आराजी भूमि में नही आ जा रहे हैं। तोड फोड करने वाली बात नितान्त गलत बता रखी हैं। मौके पर बने रास्ते से आने जाने के लिये प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 से 7 को रोकने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है एवं मौके पर बने रास्ते आने जाने के लिये किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। रास्ते पर बनी भूमि के अलावा किसी अन्य भूमि पर कभी कोई अतिक्रमण नही

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

किया गया हैं। तमाम झुठे तथ्य अंकित किये हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व्यय निरस्त फरमाया जावें ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सेटलमेन्ट के दौरान जो रास्ता दर्ज कर दिया है, वह गलत दर्ज किया गया है। विपक्षी संख्या 1 से 7 ने आ.नं. 500 के रास्ते को छोड़कर आ.नं. 501 के बीच में रास्ता बना दिया है और प्रार्थी की जमीन आ.नं. 501 की करीब 18 फीट पूर्व से पश्चिम रास्ते में उपयोग में ली जा रही है, जबकि आ.नं. 500 रास्ते के लिए प्रार्थी ने कभी इंकार नहीं किया है, हाल आ.नं. 501 मे रास्ता नहीं है, पूर्व में भी नहीं था। विपक्षी संख्या 1 से 7 ने अन्य लोगों की सहायता से जो आ.नं. 501 में अंदर घुस कर तोडफोड करके रास्ता आ.नं. 500 के अलावा भी कायम कर दिया है, उसे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायोचित है। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 500 जमाबन्दी में किस्म रास्ता दर्ज हैं। साबिक आराजी नम्बर 201 एवं 223 के नये नम्बर 500. 501, 502 बनाये हैं एवं जो रास्ता दर्ज किया हैं जो सेलमेन्ट से पूर्व से ही दर्ज हैं एवं आज भी मौके पर रास्ता दर्ज हैं एवं जमाबन्दी में किस्म रास्ता दर्शा रखा हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी इसी रास्ते से होकर आ जा रहे हैं। मौके पर बने रास्ते से आने जाने के लिये प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 से 7 को रोकने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है एवं मौके पर बने रास्ते आने जाने के लिये किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं।

अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम माकरडा, पटवार हल्का साकरडा, तहसील आमेट जिला–राजसमंद आराजी नं. 500, 501, 502, 503, 504 भूमि के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **15.01.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)